

प्ररूप-42

[नियम 69 (घ) (4)]

रातभर का संरक्षण प्रवास

.....(बालक का नाम) को.....आज पकड़ा गया है।
(संस्था का नाम) में रातभर के संरक्षण प्रवास की जरूरत हेतु रखा जाता है।

उक्त बालक को..... (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी,.....पुलिस स्टेशन
.....) के द्वारा पेश किया गया है। बालक को संरक्षण प्रवास में रखने के लिए अपेक्षित आवेदन बालक की
समान्य सेहत स्थिति, जिसे संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत अनुशीलन किया गया है. वर्णित चिकित्सा रिपोर्ट के
साथ लाया गया है।

उक्त बालक को बजे संस्था में लाया गया है और संबंधित अधिकार क्षेत्र के बाल कल्याण
पुलिस अधिकारी को अगले दिन बजे (समय बताएं) या उससे पहले सुपुर्द कर दिया जाएगा ।

बालक की व्यक्तिगत वस्तुओं की गहन छानबीन की गई है और निम्नलिखित वस्तुएं(यदि कोई
हो) संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई हैं।

अगर संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियत समय पर बालक को अभिरक्षा में लेने की रिपोर्ट करने में
असफल होता है तो ऐसे बालक को किशोर न्याय बोर्ड / बाल कल्याण समिति के समक्ष संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा
शीघ्र पेश किया जाएगा।

प्रतिलिपि:

1. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
2. बोर्ड/समिति
3. संस्था का प्रभारी व्यक्ति

आज तारीख.....का.....20

(हस्ताक्षर)

संस्था का प्रभारी व्यक्ति

(हस्ताक्षर)

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी